

आदेश

पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गृहस्वामी/होल्डिंग धारकों के द्वारा अपने भवन का नामांतरण/दाखिल-खारिज हेतु संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल किया जाता है तथा कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित करने के उपरांत विक्षुब्ध पक्ष के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 141 एवं 142 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पुनरीक्षण/आपत्ति संबंधी अपील आवेदन दाखिल किया जाता है।

गृहस्वामी/होल्डिंग धारकों से प्राप्त पुनरीक्षण/आपत्ति संबंधी अपील आवेदन एवं उसकी सुनवाई के क्रम में भी यह बात संज्ञा में आई है कि संबंधित अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नामांतरण/दाखिल-खारिज हेतु प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई के उपरांत पारित किये गये आदेश को पटना नगर निगम के वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है।

सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत गृहस्वामी द्वारा नामांतरण/दाखिल-खारिज हेतु दाखिल किये गये आवेदन पर सुनवाई के उपरांत पारित किये गये सभी आदेश को 24 घंटे के अंदर पटना नगर निगम के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि अंचल द्वारा नामांतरण/दाखिल-खारिज संबंधी मामलों में पारित किये गये आदेश यदि संबंधित राजस्व पदाधिकारी के द्वारा एक सप्ताह से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है, तो वैसी स्थिति में संबंधित राजस्व पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर निलंबन का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0/-

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

प्रतिलिपि:-1. सभी कार्यपालक पदाधिकारी/सभी राजस्व पदाधिकारी, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2. PMU IT TEAM, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


नगर आयुक्त
पटना नगर निगम